मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 2001/19/यो/2011–12 - 6381 भोपाल दिनांक 30-11-11

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल

विषयः लोक निर्माण विभाग में मुख्य अभियंताओं एवं अधीक्षण यंत्रियों द्वारा निर्माण कार्यो की सतत समीक्षा एवं गुणवत्ता नियंत्रण करने बाबत।

–0–

निर्माण कार्यो की सतत समीक्षा एवं समुचित गुणवत्ता नियंत्रण रखने के उददेश्य से निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जातें हैः–

1. मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री अपने अधिकार क्षेत्र में शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में नियमित दौरा कर निरीक्षण टीप जारी करेंगे। इन निरीक्षण टीपों के पालन प्रतिवेदन की जिम्मेदारी संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंताओं की होगी। प्रमुख अभियंता स्तर पर इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के पालन प्रतिवेदन की सतत समीक्षा भी की जावेगी। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री आवश्यकता पडने पर धीमी गति एवं खराब गुणवत्ता के मामलों में स्वप्रेरणा से ठेकेदार/इंजीनियर्स के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे।
2. मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण यंत्री निर्माण कार्यो की नियमित कार्यवार समीक्षा माह के प्रथम सप्ताह में करेगें, जिसमें वे विशेषकर कार्यो की धीमी प्रगति, प्रशासकीय स्वीकृति+ 10 प्रतिशत से अधिक राशि के व्यय, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में, समयवृद्धि प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण, कार्यो के त्रैमासिक, भौतिक, वित्तीय लक्ष्य की समीक्षा करेंगे, तथा कार्यवाही विवरण प्रत्येक माह के 15 तारीख तक अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता को एवं मुख्य अभियंता प्रमुख अभियंता को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगें।
3. मुख्य अभियंता परिक्षेत्र के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु, कम से कम वर्ष में एक बार परिक्षेत्र स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण की कार्यशाला आयोजित करेंगे, जिसमें भवन, सड़क एवं पुल निर्माण एवं मरम्मत के संबंध में समस्त उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन यंत्री को प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस कार्यशाला में कार्यो की केस स्टडी पर भी चर्चा को प्रोत्साहित किया जाय। इसके अतिरिक्त इस कार्यशाला में नये पंजीकृत एवं पुराने ठेंकेदारों को भी शामिल किया जावे तथा उन्हें अनुबंध के अंतर्गत उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी जावे।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जावे।

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
30.11.11
(आर0 के0 मेहरा)
अपर सचिव
म0प्र0 शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्रमांक 2001/19/यो/2011–12–6382 भोपाल दिनांक 30-11-11

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मान० मंत्रीजी, म०प्र० शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. निज सचिव, सचिव, म०प्र० शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
4. समस्त मुख्य अभियंता (.................... परिक्षेत्र), लोक निर्माण विभाग
5. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मण्डल क्र-2 भोपाल ....

की ओर सूचनार्थ।

30.11.11

अपर सचिव

म०प्र० शासन, लोक निर्माण विभाग

Desktop Sanav Addl Secy Order